न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/25/2023	2023/318	01.06.2023	17.12.2025

1. श्रीमती प्रवीण पुत्री रामचरण पत्नी राजेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बडौदा मेव तहसील लछमणगढ जिला अलवर हाल नदबई तह० नदबई जिला भरतपुर राज०।
2. श्रीमती तरूणा पुत्री रामचरण पत्नी सतीश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बडौदा मेव तहसील लछमणगढ, अलवर हाल वासी भरतपुर राज०।
3. श्रीमती गरीमा पुत्री रामचरण पत्नी विनोद कुमार जातिब्राहमण निवासी बडौदा मेव तहसील लछमणगढ अलवर हाल वासी सरससैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
4. श्रीमती महिमा पुत्रीरामचरण पत्नी मनोज कुमार जाति ब्राहमण निवासी बडौदा मेव तहसील लछमणगढ जिला अलवर हाल महरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर राज०।
5. श्रीमती मनीषा पुत्री रामचरण पत्नी अरूण कुमार जाति ब्राहमण निवासी बडौदाम व तहसील लछमणगढ जिला अलवर हाल वासी जयपुर राज०।
6. श्रीमती हिमांशु पुत्री रामचरण पत्नी खुशाल कौशिक जाति ब्राहमण निवासी बडोदा मेव तहसील लछमणगढ जिला अवलर हाल वासी मेन सोहना रोड, भोन्डसी तहसील सोना जिला गुडगांवा हरियाणा।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामचरण पुत्र घमण्डी लाल जाति ब्राह्मण,
2. रामवतार पुत्र घमण्डी लाल जाति ब्राहमण,
   निवासीयान बड़ौदा मेव तहसील लछमनगढ जिला अलवर राज।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार बडौदा मेव तहसील लछमणगढ जिला अलवर दिनांक 21.02.2023 नामान्तकरण संख्या 4300

उपस्थितः–

01. श्री अशोक कुमार मुगदल – वकील अपीलाण्ट
02. श्री मूलचन्द चौधरी – वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

यह अपील, अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, उप–तहसीलदार बडौदा मेव, तहसील लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 21.02.2023, जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 4300 तस्दीक किया गया, से व्यथित होकर धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि पुश्तैनी विरासत में प्राप्त संपत्ति है जिसमें हिंदू मिताक्षरा विधि के अनुसार उनका जन्म से ही हिस्सा है, लेकिन उनके पिता रामचरण ने चाचा रामवतार के बहकावे में आकर दिनांक 07.09.2022 को अवैधानिक रूप से समस्त हिस्से का हक त्याग विलेख कर दिया, जबकि इस विलेख के आधार पर नामांतरण का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत के पास था और समयसीमा में निर्णय न होने पर ही मामला राजस्व अधिकारी के पास जा सकता था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने न तो मौके की जांच की, न विलेख का सही अवलोकन किया और बिना नोटिस व सुनवाई के मात्र एक दिन में निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय और क्षेत्राधिकार के सिद्धांतों के विरुद्ध है, साथ ही पटवारी द्वारा डिक्री का जो हवाला दिया गया है वह भी असत्य है क्योंकि कोई न्यायालयीन डिक्री अस्तित्व में नहीं है, जबकि समान विवाद पर राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तथा दीवानी न्यायालय में वाद लंबित हैं, ऐसे

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

में नामांतरण की समरी कार्यवाही स्थगित रहनी चाहिए थी। अतः दिनांक 21.02.2023 का नामांतरण संख्या 4300, ग्राम बड़ौदा मेव, तहसील लक्ष्मणगढ़ का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अपील अपीलाण्ट द्वारा अपील के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.02.2023 की अपील दि0 13.04.2023 को 21 दिन देरी से पेश की गयी, जिस देरी को माफ करने के लिए दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रार्थना पत्र का रेस्पो0 ने न तो जवाब पेश किया है न ही खण्डन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मियाद के बिन्दू पर नरम रुख अपनाना चाहिए। इसलिए निवेदन है कि उक्त अपील अन्दर मियाद मानी जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में हमें पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा न ही हमें सुना गया था तथा उक्त इन्तकाल नंबर 4300 के अधीन आराजी में हम अपी0 का हक व अधिकार निहित है जिसके लिए प्रार्थना–पत्र धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार फरमाया जावे।

विवादित आराजी हम अपीलाण्ट्स व रेस्पो0 की पैतृक आराजी है, जो रेस्पो0 स्वीकार करते हैं। जिनका सजरा निम्न प्रकार से है :–

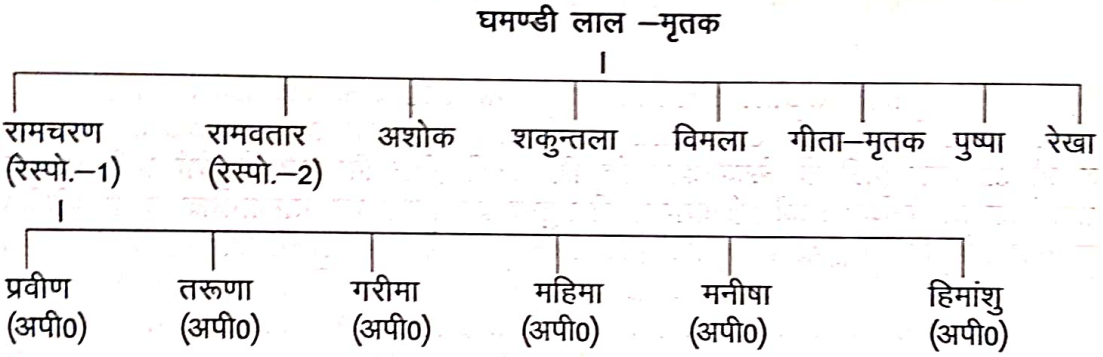

उक्त सजरे से जाहिर होगा कि अपीलाण्ट्स का दादा घमण्डी लाल था, जिनके रामचरण, रामवतार व अशोक पुत्र व चार पुत्रियां पैदा हुईं, जो अपने ससुराल में रहती हैं। रेस्पो0 सं. 1 हमारे पिता है व रेस्पो0 सं. 2 चाचा है। विवादित आराजी हमारे बाबा/दादा घमण्डी लाल से हमारे पिता के नाम से विरासत में आई है जो आराजी हमारी पुस्तैनी आराजी है, जो हम अपी0 को अपने बाबा/दादा से विरासत में प्राप्त हुई है। जिस आराजी मुतनाजा में हिन्दू मिताक्षरा विधि के अनुसार हम अपी0 को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त हो गए हैं तथा उक्त विवादित आराजी में हम अपी0 व रेस्पो0 सं. 1 रामचरण जो हमारा पिता है, प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा है व इसी प्रकार काबिज काश्त हैं।

चूंकि विवादित आराजी हमारे पिता रामचरण के नाम दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाने व हमारे पिता रामचरण हमारे चाचा रामवतार के बहकावे में आकर हम अपी0 की पुस्तैनी आराजी मुतनाजा से हमारे हक अधिकार व हिस्से को समाप्त करने की नियम से विधि विरूद्ध एक हकत्याग समस्त हिस्से का दिनांक 07.09.2022 को अपने भाई रामवतार (रेस्पो0 नं. 2) को कर दिया जबकि उसका हिस्सा 1/7 ही होता था, समस्त हिस्सा नहीं होता था। जिस हकत्याग के आधार पर उक्त नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है।

हम पक्षकारान के मध्य अपने हक व अधिकारों व स्वामित्व के संबंध में तथा हकत्याग निरस्त करने के संबंध में उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है तथा एक दीवानी वाद सिविल जज लक्ष्मणगढ़ में विचाराधीन है तथा दो अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में विचाराधीन हैं, जिनमें हम पक्षकारों के हक, अधिकार व स्वामित्व तेय होंगे। नामान्तकरण की कार्यवाही फिसकल होती है। न्यायालयों में पेश किये गये वाद–पत्र एवं अपील की नकले न्यायालय हाजा में उक्त अपील में पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

विवादित आराजी हमारी पैतृक आराजी है, का संपूर्ण हिस्सा का हमारे पिता रामचरण को हकत्याग करने का अधिकार नहीं था। उसके हिस्से 1/7 तक ही हक त्याग कर सकता था, जो सिद्धान्त RRJ 2023 PART-2 PAGE 850 में प्रतिपादित किया गया है। हक त्याग विशेष व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है, सभी को होना चाहिए जो सिद्धान्त RRJ 2013 PART-2 PAGE 1230 में प्रतिपादित किया गया है। मा0 राजस्व मण्डल ने निम्न नजीरों में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं:— 1- RRD 2001 PAGE 242 —विवादित भूमि के संबंध में दोनों पक्षों के अधिकार दावे में तैय होंगे। 2- RRD 2006 PAGE 128 —नामान्तकरण नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित तथा नियमित वाद के निर्णय होने के अनुरूप ही नामा0 स्वीकृत किये जावेंगे। RRD 2005 PAGE 310 —नामा0 निरस्त प्रकरण में राजस्व वाद के निर्णय अनुसार नामा0 की कार्यवाही की जावे। 4- RRD 2008 PAGE 108 —नियमित वाद में अंतिम रूप से जो निर्णय होगा उसी के अनुसार नामा0 स्वीकृत करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। हम पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं, जिन वादों में हम पक्षकारानों के हक व अधिकार तैय होंगे। नामान्तकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही होती है।

अतः निवेदन है कि उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 21.02.2023 बाबत् नामान्तकरण संख्या 4300 निरस्त फरमाया जावे व अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करें कि वो नियमित वाद के निर्णय के अनुरूप नामान्तकरण स्वीकृत करें।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपने समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया है कि अपीलान्ट की तरफ से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आदेश दिनांक 21.02.2023 उप—तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) द्वारा स्वीकार किया गया नामांतकरण संख्या 4300 ग्राम बडौदामेव विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी द्वारा धारा 96 सीपीसी एवं धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब रेस्पाडेन्ट की ओर से पेश किया गया। प्रथमतः निवेदन है कि प्रकरण का मेरिट पर निर्णय करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी व धारा 05 मियाद अधिनियम पर ही निर्णय किया जाना आवश्यक है। जैसा कि आर आर टी 2023 (।।) पेज 821 व आर आर टी 2024 (1) पेज 307 हाई कोर्ट में नजीर पारित की गई है।

अपीलान्टान हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अपीलान्ट का उपरोक्त नामंतकरण से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि रेस्पाडेन्ट रामचरण उपरोक्त नामंतकरण सम्बन्धी आराजी का खातेदार काश्तकार था। उसका 1/6 हिस्सा जो अपने हिस्से को हक त्याग करने का पूर्ण हक था। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज़ अपील में पेश नहीं किया है कि नामांतकरण से सम्बन्धित आराजी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को अपने हिस्से को हकत्याग करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने अपने भाई रेस्पाडेन्ट संख्या 2 को उनकी सेवाओं से तथा उनकी पुत्रियों की परवरिश तथा पुत्रियों की शादी वगैरा भी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 द्वारा की गई तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 2 द्वारा स्वंय व उसकी पत्नी के द्वारा की गई तन—मन से सेवा की। उससे खुश होकर अपना हिस्सा का हक त्याग किया गया था। जिसमें अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः अपीलान्टान को अपील करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही होने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 96 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है। रेस्पाडेन्ट द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब मय हलफनामा दिया गया है। जबकि उपरोक्त नामांतकरण की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से थी। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 31.03.2023 की जानकारी होना गलत है, क्योंकि अपीलान्टान उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 13.02.2023 की अपील दिनांक 23.02.2023 को पेश की। उसी दिन अपील पर अपीलान्टान एवं रेस्पाडेन्टान की बहस हुई। उसमें हक त्याग का नामांतकरण की प्रतिलिपि अदालत में पेश कर दी गई। इससे साफ जाहिर है कि अपीलान्ट को दिनांक 23.02.2023 से ही जानकारी है। अतः अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज फरमायी जावे।

अपीलान्ट द्वारा एस डी ओ के आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के पेश की गई अपील से पूर्व ही नामांतरण दर्ज व स्वीकृत हो चुका था। अपीलान्टान द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मियाद बाहर अपील पेश करने का कोई पर्याप्त कारण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नहीं दिये गये है। जैसा कि आर बी जे 2010 पेज 289 राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में बताया गया है। उसमें 3 दिन की मियाद को भी कण्डोन नहीं किया है।

नामांतकरण दिनांक 21.02.2023 को रजिस्टर्ड तर्कनामा के आधार पर दर्ज कर सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पेज नम्बर 4 पर घमण्डीलाल के परिवार का सजरा दर्ज किया। जिसमें घमण्डीलाल की पत्नी को नहीं दर्शाया गया है। घमण्डीलाल उपरोक्त आराजीयात का 1/2 भाग का खातेदार था। घमण्डीलाल की विरासत रामचरण, रामवतार, अशोक पुत्र एवं पांच पुत्रियां तथा विधवा सोना के नाम इंतकाल संख्या 1680 दिनांक 22.10.2001 को तस्दीक किया गया था उसके बाद पांचों पुत्रियों एवं रेस्पाडेन्ट की माता ने अपना हक त्याग जिसका 6/9 हिस्सा था, सभी ने अपना 6/9 भाग तीनों भाई रामचरण, रामवतार व अशोक के हक में अपना हक त्याग कर दिया था। हक त्याग जिसका नामांतकरण संख्या 1813 दिनांक 20.11.2002 को तीनों भाईयों के नाम दर्ज कर स्वीकार हुआ था। हक त्याग के जो अधिकार मिलते हैं वह जिसके हक में हक त्याग किया वह उसकी स्वकारित सम्पत्ति मानी जाती है, ना कि पैत्रक।

अपील में जो सजरा पेश किया गया है जिसमें मु०सोना को नही दर्शाया जबकि सोना ने रेस्पाडेन्ट सं. 1 रामचरण को हकत्याग कर दिया था। रामचरण को अपने भाई व पत्नी की सेवा करने के एवज में रेस्पा० सं. 2 को जो हकत्याग किया है वह कानून किया गया है तथा रजिस्टर्ड हक त्याग है। अपीलान्ट ने जो दावा किया हुआ है उसमें धारा 212 राज० काश्त० अधि० की दरख्वास्त थी जिसका दिनांक 13.02.23 का निर्णय किया जिसके अंतिम पैरा में यह तजवीज दी गई कि तहसीलदार लक्ष्मनगढ हक त्याग/तर्कनामा दिनांक 07.09.2022 का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल (नामांतकरण) हेतु स्वतंत्र है। उसकी पालना में उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद नामांतकरण स्वीकृत किया गया था। जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट का यह कहना कि इसमें मुताबिक डिक्री लिखाया गया है। जो मानवीय भूल है। इस आधार पर इंतकाल खारिज नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट का यह कहना कि ग्राम पंचायत में इंतकाल पेश नहीं किया गया सीधे ही तहसीलदार को प्रेषित किया गया है। उक्त नामांतकरण स्वीकार करने का आदेश तहसीदलार को प्रदान किया गया है ना कि ग्राम पंचायत को तथा ऐसी स्थिति में उक्त नामातकरण आदेशानुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आराजी मुतनाजा वाके ग्राम बडौदा मेव में स्थित है जो ग्राम पंचायत के अधीन ना होकर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अस्तित्व में ना होने के कारण ग्राम पंचायत को इंतकाल प्रेषित किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता है।

अपीलान्ट द्वारा उक्त दान पत्र के सिविल न्यायालय में चैलेज किया गया है। ऐसी स्थिति में स्थिति व मौका परिवर्तन नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट जो दस्तावेज पेश किये गये थे उन्हें 200/ रूपये कोस्ट पर रिकॉर्ड पर लिये गये जिसके रिपटल रेस्पोडेन्ट दस्तावेज इस लिखित बहस के साथ पेश कर रहा है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मय हर्जा और खर्चा खारिज फरमायी जावे।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भूमि पैतृक है, पिता को सम्पूर्ण हिस्सा त्यागने का अधिकार नहीं था, और मामला विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, अतः नामान्तकरण निरस्त होना चाहिए। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नामान्तकरण एक पंजीकृत दस्तावेज (हकत्याग दिनांक 07.09.2022) के आधार पर भरा गया है। बडौदा मेव नगरपालिका क्षेत्र है, अतः ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार नहीं बनता। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

13.02.2023 की पालना में ही नामान्तकरण कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलार्थीगण का वर्तमान नामान्तकरण से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है क्योंकि पिता (खातेदार) ने अपने जीवित रहते हुए अपने हिस्से का निस्तारण किया है।

पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिन्तन–मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय, उप–तहसीलदार बडौदा मेव, तहसील लक्ष्मणगढ़ द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 4300 एक पंजीकृत हकत्याग/तर्कनामा दिनांक 07.09.2022 के आधार पर खोला और तस्दीक किया गया है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भूमि पैतृक है, पिता को सम्पूर्ण हिस्सा त्यागने का अधिकार नहीं था, और मामला विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, अतः नामान्तकरण निरस्त होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों (अपीलार्थीगण) का इसमें जन्मजात हिस्सा है। पिता (रामचरण) को सम्पूर्ण भूमि का हकत्याग करने का अधिकार नहीं था, वे केवल अपने 1/7 हिस्से तक ही सीमित रह सकते थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस सम्बंध में दीवानी न्यायालय और राजस्व न्यायालय (SDO लक्ष्मणगढ़) में विभाजन और घोषणा के वाद लम्बित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका जाँच किए और बिना हितबद्ध पक्षकारों (बेटियों) को सुने, जल्दबाजी में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया, जो विधि विरुद्ध है।

यह स्वीकार्य तथ्य है कि विवादित भूमि के स्वत्व, विभाजन और हकत्याग विलेख की वैधता को चुनौती देने वाले वाद सक्षम राजस्व न्यायालय (अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) और दीवानी न्यायालय में लम्बित हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तकरण की कार्यवाही केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए होती है और यह स्वत्व (Title) का निर्धारण नहीं करती। RRD 2006 Page 128 अनुसार जब स्वत्व का प्रश्न सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो, तो नामान्तकरण अधिकारी को विवादित नामान्तकरण भरने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, विशेषकर तब जब पक्षकारों के अधिकार अभी तय होने बाकी हैं। अर्थात् नामान्तकरण नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित रहना चाहिए।

अपीलार्थीगण का मुख्य तर्क है कि भूमि पैतृक है और उन्हें इसमें जन्म से अधिकार प्राप्त है। यदि भूमि पैतृक है, तो कर्ता या पिता अन्य सहदायिकों (Coparceners) की सहमति के बिना या विधिक आवश्यकता के बिना सम्पूर्ण सम्पत्ति का हकत्याग नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करते समय यह जाँचने का प्रयास नहीं किया कि क्या हकत्याग करने वाले (रामचरण) को सम्पूर्ण भूमि अन्तरित करने का अधिकार था या नहीं। बिना हितबद्ध पक्षकारों (बेटियों) को नोटिस दिए या सुने एकपक्षीय रूप से नामान्तकरण तस्दीक करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र एक पंजीकृत विलेख को आधार मानकर नामान्तकरण कर दिया, जबकि धारा 75 और सम्बंधित नियमों के तहत यदि कोई आपत्ति या विवाद की सम्भावना हो, तो उसे रजिस्टर इन्तकालात में दर्ज कर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थीगण के अनुसार उन्होंने धारा 96 ब्ब का प्रार्थना पत्र भी दिया था। चूंकि दीवानी और राजस्व वाद लम्बित हैं, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाए रखना ही न्यायोचित है ताकि किसी पक्षकार के हित प्रभावित न हों।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित वादों के लम्बित होने के तथ्य और अपीलार्थीगण के प्रथम दृष्टया बनते अधिकारों की अनदेखी की है। जिस हकत्याग विलेख के आधार पर नामान्तकरण संख्या 4300 भरा गया है, वही विलेख न्यायालय में चुनौती के अधीन है। अतः जब तक सक्षम न्यायालय से स्वत्व और हिस्से का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक विवादित नामान्तकरण को बहाल रखना विधिक रूप से उचित नहीं है। उभय पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय, उप–तहसीलदार बडौदा मेव, तहसील लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 नामा0 संख्या 4300 विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किया जाता है। चूंकि पक्षकारों के मध्य स्वत्व एवं विभाजन के नियमित वाद सक्षम न्यायालयों (राजस्व एवं दीवानी) में विचाराधीन हैं, अतः भविष्य में नामान्तकरण की कार्यवाही उन नियमित वादों में पारित अन्तिम निर्णय (Final Decree) के अनुरूप ही अमल में लाई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति मातहत अदालत को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेन्द्र कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर